राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री पंकज बड़गुर्जर (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
68 / 2024	2.02.2024	9-3-2024

उनवान:

1. वेदप्रकाश उम्र 49 वर्ष पुत्र श्री रामनिवास जाति अहीर निवासी ग्राम काठूवास तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. अशोक कुमार उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री रामअवतार जाति अहीर निवासी ग्राम खण्डोडा तहसील बावल जिला रेवाडी हरि0
3. उपेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मांढण तह0 माढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

......वादीगण

बनाम

1. शिवशंकर शर्मा पुत्र राधाकृष्ण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम श्रीयानी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, मांढण तह0 मांढण

......प्रतिवादीगण

दावा बावत इस्तकरार हक,दुरूस्ती इन्द्राजात एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थिति :– श्री मुकेश यादव योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से
श्री मंजीत यादव योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 की ओर से

।। निर्णय ।।

वादीगण द्वारा पेश वाद पत्र के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 2152/787 रकबा 0.67 है0 वाके ग्राम मांढण के 20/67 हिस्सा यानि 20 एयर भूमि प्रतिवादी सं0 1 द्वारा जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 02.02.2024 को विक्रेता चिन्मय पुत्र कमलकुमार, श्रीमती बीना पत्नी कमलकुमार, रचना पुत्री जगमोहन, रितु पुत्री जगमोहन, हार्दिक पुत्र कमलकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी मोहल्ला जोशियो का बानसूर से मौके पर कब्जा लेकर एवं बयनामा की चुकता रकम अदा कर खरीद किया गया था। जो बयनामा सं0 202403275100055 है तथा उक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर हाल 2152/787 रकवा 0.67 है0 वाके ग्राम मांढण तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड मे से शेष बचे हिस्से को वादी सं0 1 ने 11/67 हिस्सा तथा वादी सं0 2 ने 18/67 हिस्सा तथा वादी सं0 3 ने 18/67 हिस्सा अर्थात कुल 47/67 हिस्सा हम वादीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 02.02.2024 को ही विक्रेता चिन्मय पुत्र कमलकुमार, श्रीमती बीना पत्नी कमलकुमार, रचना पुत्री जगमोहन, रितु पुत्री जगमोहन, हार्दिक पुत्र कमलकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी मोहल्ला जोशियो का बानसूर से मौके पर कब्जा लेकर एवं बयनामा की चुकता रकम अदा कर खरीद किया गया था। जो बयनामा सं0 202403275100060 है। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई इंतकाल की प्रक्रिया के मुताबिक उक्त खसरा नम्बर 2152/787 वाके ग्राम मांढण तह0 मांढण मे से पहले पंजीबद्ध रजिस्ट्री सं0 202403275100055 के मुताविक इंतकाल सं0 2000 दिनांक 02.02.2024 को भरा गया वह खिलाफ बयनामा एवं नियम विरूद्ध तरीके से उक्त खसरा नम्बर 2152/787 वाके ग्राम मांढण मे विक्रेतागण द्वारा विक्रय किया गया 20/67 हिस्से की बजाय सम्पूर्ण हिस्से का इंतकाल

भर कर उसे स्वीकृत कर दिया गया। जिस गलत इंतकाल के आधार पर उक्त खसरा नम्बर के राजस्व रिकार्ड मे सम्पूर्ण हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज कर दी गई तथा इसी खसरा नम्बर मे से बाद मे हम वादीगण के नाम से करवाये गये बयनामा सं0 202403275100060 के मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे विक्रेतगण के नाम से भूमि जमाबन्दी मे दर्ज नही होने के कारण इंतकाल दर्ज नही किया जा सका तो हम वादीगण बयनामा को लेकर पटवारी हल्का से मिले तो पटवारी हल्का ने बताया कि बयनामा सं0 202403275100055 सम्पूर्ण हिस्से का खोल दिया गया जो गलत खोला गया है। अब तहसीलदार साहब से आदेश लेकर आने के बाद ही बयनामा के आधार पर इंतकाल खोला जा सकता है। तो हम वादीगण प्रतिवादी सं0 1 से मिले एवं उसे भी गलत इंतकाल की जानकारी देकर गलत इंतकाल को दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी सं0 1 ने भी कहा कि अगर बयनामा से अधिक भूमि का इंतकाल मेरे नाम से खोल दिया तो आप उसे दुरूस्त करवालो मै लिखकर देने के लिए तैयार हूॅ। इस पर हम वादीगण दिनांक 19.02.2024 को तहसीलदार मांढण से मिले तो तहसीलदार मांढण ने कहा कि अब इंतकाल स्वीकृत हो गया है इसमे हम कोई संशोधन नही कर सकते है। न्यायालय मे दावा करके बयनामो के मुताबिक खातेदारी दर्ज करने की घोषणा करवाओ । इसलिए हम वादीगण द्वारा अपने वकील साहब से मिलकर यह दावा गया हैं। दावा मे वर्णित खसरा नम्बर की खातेदारी बयनामा सं0 202403275100055 के मुताबिक प्रतिवादी सं0 1 के नाम से तथा बयनामा सं0 202403275100060 के मुताबिक वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज किया जाने की घोषणा फरमाई जाने की प्रार्थना की गई।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी सं0 1 बाद तामिल जरिये अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित होकर उभय पक्षो द्वारा दावा को जरिये राजीनामा डिक्री किया जाने बाबत राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा को उभय पक्षो के अधिवक्तागण की पहचान पर तस्दीक किया गया।

हमने उभय पक्षो द्वारा पेश राजीनामा का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध बयनामा दिनांक 02.02.2024 सं0 202403275100060 वादीगण के पक्ष मे विक्रेतागण द्वारा निष्पादित करवाया गया है तथा बयनामा दिनांक 02.02.2024 सं0 202403275100055 प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष मे विक्रेतागण द्वारा निष्पादित करवाया गया है। प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष मे निष्पादित बयनामा सं0 202403275100055 के आधार पर पहले इंतकाल भरा गया उसमे सम्पूर्ण हिस्से का भरने के कारण सम्पूर्ण हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज हो गयी जिस कारण से वादीगण के पक्ष मे निष्पादित बयनामा सं0 202403275100060 के आधार पर इंतकाल नही खोला गया। उक्त गलती को दुरूस्त करने बाबत स्वंय प्रतिवादी सं0 1 न्यायालय मे उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया कि बयनामो के मुताबिक खातेदारी दर्ज कर दी जावे। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रतिवादी सं0 1 द्वारा पेश राजीनामा के आधार पर वादीगण का वाद साबित होने के कारण जरिये राजीनामा डिक्री होने योग्य है।

खण्ड अधिकारी
(कोटपूतली-बहरोड)

आदेश

अतः वाद वादीगण जरिये राजीनामा इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर 2152/787 रकबा 0.67 है0 वाके ग्राम मांढण तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड के हाल राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज खातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जाता है तथा उक्त खसरा नम्बर के बयनामा दिनांक 02.02.2024 सं0 202403275100055 के मुताबिक हिस्सा–20/67 का खातेदार प्रतिवादीसं0 1 को घोषित किया जाता है तथा बयनामा दिनांक 02.02.2024 सं0 202403275100060 के मुताबिक हिस्सा–11/67 का खातेदार वादी सं. 1 को तथा हिस्सा–18/67 का खातेदार वादी सं0 2 को तथा हिस्सा–18/67 का खातेदार वादी सं0 3 को घोषित किया जाता है। इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात व खसरा गिरदावरीजात मे अंकन करने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9.3.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

9-3-2024

पंकज बडगूजर
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री पंकज बड़गुर्जर (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
68 / 2024	2.02.2024	9.3.2024

उनवान:

1. वेदप्रकाश उम्र 49 वर्ष पुत्र श्री रामनिवास जाति अहीर निवासी ग्राम काठूवास तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. अशोक कुमार उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री रामअवतार जाति अहीर निवासी ग्राम खण्डोडा तहसील बावल जिला रेवाडी हरि0
3. उपेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मांढण तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

......वादीगण

बनाम

1. शिवशंकर शर्मा पुत्र राधाकृष्ण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम श्रीयानी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, मांढण तह0 मांढण

.......प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक,दुरूस्ती इन्द्राजात एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थिति :– श्री मुकेश यादव योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से
श्री मंजीत यादव योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 की ओर से

आदेश

अतः वाद वादीगण जरिये राजीनामा इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर 2152 / 787 रकबा 0.67 है0 वाके ग्राम मांढण तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड के हाल राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज खातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जाता है तथा उक्त खसरा नम्बर के बयनामा दिनांक 02.02.2024 सं0 202403275100055 के मुताबिक हिस्सा–20 / 67 का खातेदार प्रतिवादीसं0 1 को घोषित किया जाता है तथा बयनामा दिनांक 02.02.2024 सं0 202403275100060 के मुताबिक हिस्सा–11 / 67 का खातेदार वादी सं. 1 को तथा हिस्सा–18 / 67 का खातेदार वादी सं0 2 को तथा हिस्सा–18 / 67 का खातेदार वादी सं0 3 को घोषित किया जाता है। इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात व खसरा गिरदावरीजात मे अंकन करने का आदेश दिया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 9.3.24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

9-3-2024

पंकज बडगूजर
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0